सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2005] एस. यू. पी. 3 एस सी आर

राजस्थान वित्तीय निगम एवं अन्य

बनाम

आधिकारिक परिसमापक एवं अन्य

निर्णय की तिथि: 05/10/2005

(बेंच: एस.एन. वरियावा, तरुण चटर्जी एवं पी.के. बालासुब्रमण्यन, न्यायमूर्तिगण)

मामला संख्या :अपील (सिविल) न. 4055/1998

कंपनी याचिका संख्या 696/1990 के ए.न. 184/97 में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02 .04. 97 को पारित निर्णय एवं आदेश से

अपीलार्थी की ओर से - श्री अल्ताफ अहमद, श्री सुशील कुमार जैन, श्री प्रदीप अग्रवाल, श्री ए. पी. धमीजा, श्री शरद सिंघानिया एवं श्री एच. डी. थानवी

उत्तरवादी संख्या 1 की ओर से - श्री ए. के. चिटाले, श्री नीरज शर्मा, श्री विक्रांत शर्मा, श्री विक्रांत सिंह बैस एवं श्री एम. मन्नान

उत्तरवादी संख्या 2 की ओर से - श्री सुधार्श मेनन, श्री राजनंदन एवं श्री मनेंद्र प्रताप सिंह

निर्णय

पी.के. बालासुब्रमण्यन, न्यायमूर्ति

1. अपीलकर्ता संख्या 1, राजस्थान वित्तीय निगम, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 3 के तहत गठित एक निगम है (इसके बाद "एस.एफ.सी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित)। अपीलकर्ता संख्या 2, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड, एस.एफ.सी. अधिनियम की धारा 46 के तहत केंद्र सरकार द्वारा शक्ति के प्रयोग के आधार पर एक मानी गई वित्तीय संस्था है। अपीलकर्ता मेसर्स विकास वूलन मिल्स लिमिटेड (इसके बाद इसे "परिसमापन में कंपनी" के रूप में संदर्भित किया गया है) के सुरक्षित लेनदार हैं। दिनांक 14.6.1994 के एक आदेश द्वारा, बॉम्बे उच्च न्यायालय के कंपनी न्यायाधीश ने कंपनी-परिसमापन को बंद करने का आदेश दिया। आधिकारिक परिसमापक को परिसमापन में कंपनी की संपत्ति का प्रभार लेने का निर्देश दिया गया था। दिनांक 18.4.1995 को, आधिकारिक परिसमापक ने कंपनी अदालत में निर्देश के लिए आवेदन किया। उन्होंने आधिकारिक परिसमापक के मूल्यांकनकर्ताओं के पैनल से एक मूल्यांकक द्वारा संपत्ति का

मूल्यांकन करने और सार्वजनिक नीलामी द्वारा संपत्तियों को बेचने की अनुमति मांगी। उन्होंने अपीलकर्ताओं, सुरक्षित लेनदारों को रुपये अग्रिम देने का निर्देश जारी करने की मांग की। परिसमापन में कंपनी की संपत्तियों को बेचने के खर्चों को पूरा करने के लिए प्रत्येक आधिकारिक परिसमापक को 25,000/- रुपये की राशि इस शर्त पर दी जाएगी कि बिक्री आय से प्राथमिकता के आधार पर अपीलकर्ताओं को राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस आवेदन को दाखिल करने की जानकारी आधिकारिक परिसमापक द्वारा दिनांक 21.4.1995 को संचार द्वारा अपीलकर्ताओं को दी गई थी। जाहिर है, अपीलकर्ताओं को परिसमापन की कार्यवाही की कोई सूचना नहीं थी और वे, सुरक्षित ऋणदाताओं के रूप में, अब कहते हैं कि वे समापन के बाहर खड़े रहना चाहते हैं। आधिकारिक परिसमापक को अपने जवाब में, अपीलकर्ताओं ने संकेत दिया कि उन्होंने एसएफसी अधिनियम की धारा 29 के तहत उनके लिए उपलब्ध उपायों को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। अपीलकर्ताओं ने परिसमापन में कंपनी की संपत्तियों का मूल्यांकन प्राप्त किया था और मूल्यांकनकर्ताओं के अनुसार, संपत्ति का मूल्य 92,56,000/- रुपये होता है। आधिकारिक परिसमापक की रिपोर्ट का विरोध करने के अलावा, अपीलकर्ताओं ने एक आवेदन भी दायर किया जिसमें प्रार्थना की गई कि समापन के बाहर खड़े सुरक्षित लेनदारों के रूप में, उन्हें प्रतिभूतियों का एहसास करने और उनके और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच शुद्ध बिक्री आय को विभाजित करने की अनुमति दी जा सकती है। एक अन्य सुरक्षित लेनदार, जो उनके साथ समान भुगतान का भी हकदार था। उन्होंने धारा 529-ए कंपनी अधिनियम के अनुसार, कंपनी की संपत्तियों की शुद्ध बिक्री आय से धन की उपलब्धता की सीमा तक आधिकारिक परिसमापक द्वारा तय किए जाने पर श्रमिकों के बकाया का भुगतान करने का वचन दिया। कंपनी कोर्ट ने अपीलकर्ताओं के आवेदन को खारिज कर दिया। कंपनी अदालत ने यह विचार किया कि एस.एफ.सी. अधिनियम धारा 29 के तहत अधिकार उपलब्ध है का प्रयोग आधिकारिक परिसमापक द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए श्रमिकों के अधिकार के साथ लगातार किया जाना था, जो एक प्रभारी-धारक था और सुरक्षित लेनदारों के साथ बराबर रैंक पर था, भले ही वे समापन के बाहर खड़े हों। कंपनी अदालत ने माना कि पहले से उपलब्ध मूल्यांकन रिपोर्ट के मद्देनजर, नया मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं था। न्यायालय ने राजस्थान राज्य वित्तीय निगम, अपीलकर्ता नंबर 1 को संपत्तियों की बिक्री के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने की अनुमति दी और आधिकारिक परिसमापक के परामर्श से इसे अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। यह निर्देश दिया गया कि आरक्षित मूल्य आधिकारिक परिसमापक की रिपोर्ट पर कंपनी न्यायाधीश द्वारा तय किया जाएगा। बिक्री से प्राप्त आय को अगले आदेश तक आधिकारिक परिसमापक द्वारा अपने पास रखा जाना था। इस बीच, आधिकारिक परिसमापक को श्रमिकों के दावों को आमंत्रित करना था और कंपनी अधिनियम की धारा 529 के तहत श्रमिकों के दावे की सीमा का आकलन करना था। इस आदेश को चुनौती देते हुए अपीलकर्ताओं ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम बनाम आधिकारिक परिसमापक [एआईआर 1993 बॉम्बे 392] में उस न्यायालय के पहले के फैसले का पालन

करने को प्राथमिकता देते हुए अपील खारिज कर दी। डिवीजन बेंच द्वारा उनकी अपील को खारिज किए जाने से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील दायर की है।

2. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भले ही अपीलकर्ता धारा 29 के तहत या एसएफसी अधिनियम की धारा 31 के तहत आगे बढ़ सकते थे, किसी भी अपीलकर्ता ने वास्तव में उन प्रावधानों को लागू करने या धारा 31 एसएफसी अधिनियम के तहत संबंधित जिला न्यायालय से संपर्क करने का विकल्प नहीं चुना है। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ताओं द्वारा अब भी एसएफसी अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। इस स्थिति में, यह सीधे तौर पर देखा जाता है कि एसएफसी अधिनियम की धारा 32 (10) लागू होती है। उक्त उपधारा इस प्रकार है:-

"32(10)। जहां किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के संबंध में परिसमापन की कार्यवाही धारा 32 की उप-धारा (1) के तहत आवेदन करने से पहले शुरू हो गई है, इस धारा में किसी भी बात को वित्तीय निगम को कोई प्राथमिकता देने के रूप में नहीं माना जाएगा। औद्योगिक संस्था के अन्य लेनदारों को इसे किसी अन्य कानून द्वारा प्रदत्त नहीं किया गया है।"

प्रथम दृष्टया, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32 के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा कोई अधिकार अर्जित नहीं किया गया है या उन्हें कोई अधिकार अर्जित नहीं हुआ है या उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है, जब तक कि अपीलकर्ताओं को किसी अन्य कानून द्वारा ऐसा कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया हो। ऐसी कोई दलील नहीं है कि एसएफसी अधिनियम के अलावा, कोई अन्य कानून अपीलकर्ताओं को कोई अतिरिक्त अधिकार प्रदान करता है। किसी अधिनियम का लाभ उठाने का अधिकार, उस अधिकार का लाभ उठाने के लिए किए गए किसी भी कार्य के बिना, अर्जित अधिकार नहीं माना जा सकता है। [एबॉट बनाम भूमि मंत्री (1895) एसी 425]

3. इस मामले के तथ्यों पर, स्थिति यह है कि देनदार कंपनी के परिसमापन की कार्यवाही चल रही है और दो सुरक्षित लेनदार जो इसकी संपत्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए एसएफसी अधिनियम का सहारा ले सकते थे, लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया, वे बाहर खड़े हैं समापन और कंपनी अदालत में जाकर एसएफसी अधिनियम के तहत अधिकारों का दावा कर रहे हैं। इस प्रकार दावा किए गए अधिकारों पर कंपनी अधिनियम की धारा 529-ए के साथ पठित अधिनियम की धारा 529 के आलोक में विचार किया जाना चाहिए।

4. जब यह अपील दो विद्वान न्यायाधीशों के समक्ष सुनवाई के लिए आई, तो यह प्रस्तुत किया गया कि इलाहाबाद बैंक बनाम केनरा बैंक और अन्य [(2000) 4 एससीसी 406] और इंटरनेशनल कोच बिल्डर्स लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम [(2003) 10

एससीसी 482] के निर्णय के बीच विरोधाभास था। दो विद्वान न्यायाधीशों ने इस दलील पर ध्यान दिया और इसमें शामिल कानून के प्रश्न के महत्व को ध्यान में रखते हुए मामले को एक बड़ी पीठ के समक्ष रखा। इस तरह ये मामला हमारे सामने आया है।

5. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं के पास एसएफसी अधिनियम के तहत विशेष अधिकार थे और चूंकि उन्हें परिसमापन की कार्यवाही की कोई सूचना नहीं थी और वे समापन के आदेश के पक्षकार नहीं थे, इसलिए वे आगे बढ़ने के हकदार थे। एसएफसी अधिनियम और कंपनी अदालत के तहत उनके अधिकारों के प्रवर्तन के साथ अपीलकर्ताओं को प्रतिभूतियों को स्वयं बेचने की अनुमति नहीं देना और उन्हें बिक्री के मामले में और संवितरण के मामले में आधिकारिक परिसमापक को शामिल करने का निर्देश देना उचित नहीं था। विद्वान वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि इलाहाबाद बैंक बनाम केनरा बैंक और अन्य (सुप्रा) इस प्रस्ताव के समर्थन में एक न्याय निर्णय था कि एसएफसी अधिनियम को कंपनी अधिनियम पर वरीयता मिलेगी, यह अपीलकर्ताओं की तरह निगमों की रक्षा करने वाले विशेष कानून के खिलाफ सामान्य कानून है। विद्वान वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि इंटरनेशनल कोच बिल्डर्स लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (सुप्रा) के निर्णय में पहले के फैसले पर ध्यान नहीं दिया गया है और एसएफसी अधिनियम के प्रावधानों के प्रभाव को ठीक से नहीं समझा है । एसएफसी अधिनियम की धारा 46बी ने उस अधिनियम के प्रावधानों को अधिभावी प्रभाव दिया। अपीलकर्ताओं का दावा है कि वे आधिकारिक परिसमापक से स्वतंत्र संपत्तियों को बेचने के हकदार हैं, इसलिए स्वीकार किए जाने योग्य है। दूसरी ओर, आधिकारिक परिसमापक के विद्वान वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, आधिकारिक परिसमापक की देखरेख में बिक्री करने का निर्देश देना और आधिकारिक परिसमापक को निर्देश देना उच्च न्यायालय के लिए उचित था। कंपनी अदालत के अगले आदेश तक बिक्री आय को रोककर रखें और आय को केवल कंपनी अधिनियम की धारा 529-ए के अनुसार वितरित किया जाना चाहिए। विद्वान वकील ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

6. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता एसएफसी अधिनियम के अर्थ में वित्तीय निगम हैं, जिन्हें उस अधिनियम के तहत आगे बढ़ने, देनदार की संपत्ति का प्रबंधन और कब्ज़ा लेने का अधिकार दिया गया है, यहां कंपनी-परिसमापन है, या संबंधित जिला न्यायालय से संपर्क करके एसएफसी अधिनियम की धारा 31 का सहारा लेकर अपने दावों को लागू करने के लिए। अपीलकर्ताओं ने एसएफसी अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया है, वे केवल सुरक्षित लेनदारों के स्थान पर खड़े हैं जो अपनी सुरक्षा लागू करने के हकदार हैं। कंपनी के परिसमापन में देनदार ने हस्तक्षेप किया है और समापन के आदेश के परिणाम क्या होंगे, यह विचारणीय प्रश्न है। एक बार जब किसी कंपनी का समापन किया जाता है, तो कंपनी

अधिनियम की धारा 529 और 529-ए लागू हो जाती है। धारा 528 सभी प्रकार के ऋणों को सबूत के तौर पर स्वीकार करने का प्रावधान करती है। धारा 529 दिवालिया कंपनियों के समापन में दिवालियापन के नियमों को लागू करती है। सिद्ध ऋणों के संबंध में नियम, वार्षिकियां और भविष्य और आकस्मिक देनदारियों का मूल्यांकन, और सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के संबंधित अधिकार; जैसा कि दिवालिया घोषित किए गए व्यक्तियों की संपत्ति के संबंध में दिवाला कानून के तहत फिलहाल लागू है। अधिनियम की धारा 529(1)(सी) लेनदारों के अधिकारों से संबंधित है, जो कि निम्नालिखित हैं:

"529(1)(सी). सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के संबंधित अधिकार; जैसा कि दिवालिया घोषित किए गए व्यक्तियों की संपत्ति के संबंध में दिवालियापन के कानून के तहत फिलहाल लागू हैं:

बशर्ते कि प्रत्येक सुरक्षित ऋणदाता की सुरक्षा को श्रमिकों के हिस्से की सीमा तक श्रमिकों के पक्ष में एक समान शुल्क के अधीन माना जाएगा, और, जहां एक सुरक्षित ऋणदाता, अपनी सुरक्षा को त्यागने और अपने ऋण को साबित करने के बजाय, अपनी सुरक्षा का एहसास करने का विकल्प चुनता है, -

(ए) परिसमापक श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने और इस तरह के आरोप को लागू करने का हकदार होगा;

(बी) इस तरह के शुल्क के प्रवर्तन के माध्यम से परिसमापक द्वारा प्राप्त किसी भी राशि को श्रमिकों के बकाया के निर्वहन के लिए उचित रूप से लागू किया जाएगा; और

(सी) ऐसे सुरक्षित लेनदार को देय ऋण का इतना हिस्सा जो इस परंतुक के पूर्वगामी प्रावधानों के आधार पर उसके द्वारा वसूल नहीं किया जा सका या उसकी सुरक्षा में श्रमिक के हिस्से की राशि, जो भी कम हो, को बराबर दर्जा दिया जाएगा जो धारा 529ए के प्रयोजनों के लिए श्रमिकों का बकाया के लिये हो।"

7. ऊपर उद्धृत परंतुक और अधिनियम की धारा 529-ए 1985 के संशोधन अधिनियम 35 द्वारा 24.5.1985 से शामिल किए गए थे। इस स्तर पर धारा 529-ए भी आसानी से निर्धारित की जा सकती है, जो निम्नवत है:

"529ए अधिमान्य भुगतान को अधिभावी बनाना। इस अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान या उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में किसी कंपनी के समापन में निहित किसी भी बात के बावजूद

(ए) श्रमिकों का बकाया; और

(बी) धारा 529 की उप-धारा (1) के परंतुक के खंड (सी) के तहत ऐसे ऋणों की सीमा तक सुरक्षित लेनदारों को देय ऋण, ऐसे बकाया राशि के साथ, अन्य सभी ऋणों की तुलना में प्राथमिकता में भुगतान किया जाएगा।

(2) खण्ड (क) एवं खण्ड (ख) के उप-धारा (1) अंतर्गत देय ऋण का पूरा भुगतान किया जाएगा, जब तक कि परिसंपत्तियां उन्हें पूरा करने के लिए अपर्याप्त न हों, जिस स्थिति में वे समान अनुपात में कम हो जाएंगी।

धारा 529-ए और 529 को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून या कंपनी अधिनियम में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, सुरक्षित लेनदारों के कारण श्रमिकों के बकाया और ऋण के लिए एक अधिमान्य भुगतान प्रदान किया गया है। इस तरह के ऋणों को धारा 529(1) के परंतुक के खंड (सी) के तहत इस तरह के बकाया के बराबर श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए, जब कंपनी की संपत्ति बेची जाती है और आय प्राप्त की जाती है, तो श्रमिकों के बकाया और सुरक्षित लेनदारों के ऋण का पूरा भुगतान करना होगा यदि संपत्ति उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त है और यदि वे पर्याप्त नहीं हैं, तो समान अनुपात.

8. कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम बनाम पाटिल डाइज़ एंड केमिकल्स (पी) लिमिटेड और अन्य [(1991) 70 कंप.कैस.38], के वाद में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना कि एसएफसी अधिनियम की धारा 29(1) के तहत अधिकार निगम को तभी उपलब्ध थे जब कंपनी अपनी संपत्तियों के प्रभार और नियंत्रण में थी, न कि तब जब कंपनी ने अपनी संपत्तियों पर नियंत्रण खो दिया हो। कंपनी अदालत और आधिकारिक परिसमापक का हस्तक्षेप। एसएफसी अधिनियम की धारा 29 इस तर्क को उचित नहीं ठहराती है कि जहां ऋणदाता एक वित्तीय निगम है, कंपनी अदालत के आदेश के अनुसार परिसमापन में कंपनी की संपत्ति कंपनी अदालत के अधिकार क्षेत्र के दायरे से बाहर ले ली जाती है। कंपनी अधिनियम की धारा 529 और 529 ए के उचित निर्माण पर, धारा 529 की उप-धारा (1) के खंड (सी) की सीमा तक श्रमिकों के बकाया और सुरक्षित लेनदारों के कारण ऋण की गणना की जानी चाहिए। धारा 529 के तहत दिए गए उदाहरण के आलोक में और इसका आदेश केवल कंपनी अदालत द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 446(2)(बी) और (डी) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिया जा सकता है।

9. केरल वित्तीय निगम बनाम आधिकारिक परिसमापक और अन्य.[(1991) 71 कंप. कैस.324], के वाद में, केरल उच्च न्यायालय ने माना कि संघर्ष की स्थिति में अधिनियम की धारा 529 ए एसएफसी अधिनियम की धारा 29 पर प्रबल होती है और चूंकि श्रमिकों का बकाया, जो सुरक्षित लेनदारों के बकाया के बराबर है, का भुगतान करना होगा। सुरक्षित लेनदारों को दी गई सुरक्षा सहित कंपनी की संपत्तियों की आय, श्रमिकों के बकाया के बंटवारे

और वित्तीय निगम को देय राशि और अन्य संबंधित प्रश्नों के संबंध में कोई भी विवाद वित्तीय निगम द्वारा निर्णय लेने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए, सभी संबंधित पक्षों के सर्वोत्तम हित में, संपत्तियों की बिक्री कंपनी अदालत की देखरेख में आधिकारिक परिसमापक द्वारा की जानी थी। गौरतलब है कि उस मामले में, वित्तीय निगम ने एसएफसी अधिनियम की धारा 29 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए कंपनी अदालत से अनुमति मांगी थी।

10. महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम, बॉम्बे बनाम आधिकारिक परिसमापक [एआईआर 1993 बॉम्बे 392], के वाद में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि एसएफसी अधिनियम की धारा 29 के तहत बंधक के रूप में एक वित्तीय निगम को दिए गए अधिकार कंपनी के समापन की स्थिति में समाप्त नहीं होते हैं। संपत्ति बेचने के लिए धारा 29 के तहत वैधानिक अधिकार का प्रयोग समान रूप से चार्जधारक के अधिकारों के साथ लगातार किया जाना चाहिए, जिसके पक्ष में कंपनी अधिनियम की धारा 529 के प्रावधानों द्वारा एक वैधानिक शुल्क बनाया जाता है जब कंपनी परिसमापन में होती है। इसलिए, ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल आधिकारिक परिसमापक की सहमति से ही किया जा सकता है और आधिकारिक परिसमापक को ऐसी सहमति देने से पहले न्यायालय की अनुमति लेनी आवश्यक है क्योंकि वह न्यायालय का एक अधिकारी है और उसके निर्देशों के तहत कार्य करना आवश्यक है। न्यायालय ने श्रमिकों की ओर से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह माना कि एसएफसी अधिनियम और कंपनी अधिनियम की धारा 529ए के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 529 के बीच कोई असंगतता नहीं है और इसलिए एसएफसी अधिनियम की धारा 46बी लागू नहीं होती है।

11. इंटरनेशनल कोच बिल्डर्स लिमिटेड में (परिसमापन में) बनाम कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम [(1994) 81 कंप. कैस.19], कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने माना कि परिसमापन में एक कंपनी के सुरक्षित लेनदार का अधिकार, कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम, को इसकी प्राप्ति का अधिकार है। सुरक्षा के अधीन कंपनी की संपत्तियों पर कब्ज़ा करने और समापन के बाहर खड़े होकर उन्हें बेचने से सुरक्षा, धारा 529 के संशोधन और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529-ए के सम्मिलन से प्रभावित होने के बारे में दूर से भी नहीं कहा जा सकता है। 1985 के अधिनियम 35 द्वारा। यह माना गया कि परिसमापन कंपनी के एक सुरक्षित ऋणदाता, कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम को कंपनी की संपत्ति बेचने की अनुमति दी गई थी, जो निगम द्वारा दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा का गठन करती थी। कंपनी और जिसे निगम ने परिसमापन का आदेश दिए जाने से पहले ही अपने कब्जे में ले लिया था, और परिसमापन के बाहर खड़े होकर, कर्मचारियों के बकाया के भुगतान के अधीन निगम के बकाया को वसूलने की अनुमति अच्छी तरह से थी। यथासंशोधित धारा 529, और कंपनी अधिनियम, 1956 में सम्मिलित धारा 529-ए और एसएफसी अधिनियम की धारा 29 और धारा 46बी के प्रावधानों के अनुसार ।

12. गुजरात राज्य वित्तीय निगम बनाम आधिकारिक परिसमापक और अन्य [(1996) 87 कंप.कैस.658], के वाद में, गुजरात उच्च न्यायालय ने केरल वित्तीय निगम बनाम आधिकारिक परिसमापक और अन्य (सुप्रा) में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय की शुद्धता पर संदेह किया और इंटरनेशनल कोच बिल्डर्स लिमिटेड (परिसमापन में) बनाम कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (सुप्रा) में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले का पालन किया। अदालत ने माना कि सुरक्षित लेनदार का अपनी सुरक्षा से निपटने और अदालत के हस्तक्षेप के बिना उसे वसूलने का अधिकार, इस तरह के निहित होने या कंपनी अदालत की हिरासत में आने वाली संपत्ति के बावजूद अप्रभावित रहता है। आरोप या बंधक की सीमा तक, संपत्ति अदालत में नहीं आती है और आम तौर पर लाभांश के वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होती है जब तक कि गिरवीदार इसे छोड़ नहीं देता है या अधिशेष, यदि कोई हो, अदालत में नहीं आता है। ऐसे अधिकार का प्रवर्तन दिवाला कार्यवाही या समापन कार्यवाही से बाहर रहता है। यह माना गया कि एसएफसी अधिनियम की धारा 29 के तहत राज्य वित्तीय निगमों द्वारा ऋण की वसूली की शक्ति कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529 ए के साथ टकराव में नहीं थी।

13. इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम श्रीनिवास एजेंसियां और अन्य [(1996) 4 एससीसी 165], के वाद में, इस सवाल पर विचार करते हुए कि कंपनी के समापन के आदेश के बाद एक कंपनी अदालत को एक सुरक्षित लेनदार को कंपनी के खिलाफ अपने मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए कब अनुमति देनी चाहिए, और किन शर्तों पर अनुमति दी जानी चाहिए दी जाए, इस न्यायालय ने माना कि सुरक्षित लेनदार द्वारा दायर मुकदमे में कंपनी अदालत द्वारा नियुक्त आधिकारिक परिसमापक और सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर के बीच सत्ता में संघर्ष के मामले में, आधिकारिक परिसमापक के हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने पाया कि परिसमापक श्रमिकों के साथ-साथ लेनदारों के एक बड़े वर्ग के हितों की भी देखभाल करता है, जबकि लेनदार के मुकदमे में नियुक्त रिसीवर अपनी चिंता को उस विशेष सुरक्षित लेनदार के हित तक सीमित रखता है जिसके कहने पर रिसीवर नियुक्त किया गया था।

14. इलाहाबाद बैंक बनाम केनरा बैंक और अन्य (सुप्रा), के मामले में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के तहत कंपनी अदालत की तुलना में ऋण वसूली न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का प्रश्न निर्णय के लिए उठा। इस न्यायालय ने माना कि यहां तक कि जहां समापन याचिका लंबित है, या देनदार कंपनी के खिलाफ समापन आदेश पारित किया गया है, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋण के संबंध में दायित्व का निर्णय और प्रमाण पत्र का निष्पादन क्रमशः इसके अंतर्गत आता है। उस अधिनियम के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण और वसूली अधिकारी का विशेष क्षेत्राधिकार और ऐसे मामले में, कंपनी अधिनियम की धारा 442, 537 और 446 के तहत कंपनी अदालत का क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया। इसलिए, ऋण वसूली अधिनियम के तहत कार्यवाही

शुरू करने के लिए कंपनी अदालत की अनुमति आवश्यक नहीं थी। यहां तक कि विभिन्न लेनदारों के बीच प्राथमिकताएं, केवल ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 529- ए के साथ पढ़ी गई ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19(19) के अनुसार तय की जा सकती हैं , किसी अन्य तरीके से नहीं। न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण वसूली अधिनियम, 1993 , 1985 के अधिनियम 35 द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 529 ए की शुरूआत के बाद का एक कानून था और इसका अत्यधिक प्रभाव था। लेकिन यह देखा गया कि ऋण वसूली अधिनियम की धारा 19(19) के आधार पर , विभिन्न लेनदारों के बीच प्राथमिकताओं का निर्णय रिकवरी ट्रिब्यूनल द्वारा केवल कंपनी अधिनियम की धारा 529 ए के संदर्भ में किया जाना था और धारा 19(19) में ऐसा नहीं हुआ । सभी सुरक्षित लेनदारों को प्राथमिकता दें। इसलिए, कंपनी अधिनियम की धारा 529-ए के अनुसार सुरक्षित लेनदारों के सीमित वर्ग की पहचान करना आवश्यक था, जिन्हें अन्य सभी पर प्राथमिकता प्राप्त है। न्यायालय ने यह भी माना कि कंपनी अधिनियम की धारा 529 (1) के प्रावधान (सी) के साथ पढ़ी गई धारा 529 ए के तहत देनदार के अन्य लेनदारों द्वारा वसूली के खिलाफ एक सुरक्षित लेनदार द्वारा दावा करने का अवसर केवल ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष उत्पन्न हो सकता है। यदि संबंधित लेनदार समापन के बाहर खड़ा था और रकम की वसूली की थी और यदि यह दिखाया गया है कि उसके द्वारा निजी तौर पर वसूली गई रकम में से कुछ हिस्सा प्रावधान के खंड (ए) और (बी) के तहत परिसमापक द्वारा ले लिया गया था। धारा 529(1) के लिए न्यायालय ने यह नहीं माना है कि कंपनी अधिनियम की धारा 529-ए उस मामले में लागू नहीं होगी जहां ऋण वसूली अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है।एक वित्तीय संस्थान द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है। यहां न्यायालय अनिवार्य रूप से कंपनी अधिनियम की धारा 442, 537 और 466 के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से निपट रहा था।

15. एपी राज्य वित्तीय निगम बनाम आधिकारिक परिसमापक [(2000) 7 एससीसी 291], के वाद में, इस न्यायालय ने माना कि कंपनी न्यायाधीश ने, वित्तीय निगम को परिसमापन कार्यवाही से बाहर रहने की अनुमति देते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए सही शर्तें लगाईं कि निगम: (i) श्रमिकों के कारण अपने दायित्व का निर्वहन करेगा कंपनी अधिनियम की धारा 529-ए के तहत, (ii) ऋणग्रस्त कंपनियों की संपत्तियों की प्रस्तावित बिक्री के बारे में आधिकारिक परिसमापक को पहले से सूचित करना, और (iii) निविदाओं को अंतिम रूप देने से पहले न्यायालय की अनुमति प्राप्त करना। इस न्यायालय ने विशेष रूप से उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को खारिज कर दिया कि वित्तीय निगमों के लिए समापन कार्यवाही से बाहर रहने के लिए कंपनी अदालत की अनुमति लेना आवश्यक नहीं था। यह माना गया कि कंपनी अधिनियम की धारा 529(1) और 529-ए का प्रभाव अध्यारोही था और 1985 का संशोधन बाद के समय में होने के कारण, उसमें गैर-अस्थिर खंड एसएफसी अधिनियम धारा 46 बी में निहित गैर-अस्थिर खंड पर प्रबल होगा।

16. इंटरनेशनल कोच बिल्डर्स लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम [(2003) 10 एससीसी 482], के वाद में, इस न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय और गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त विचारों की शुद्धता पर विचार किया। इस न्यायालय ने माना कि एसएफसी अधिनियम की धारा 29 के तहत एक वित्तीय निगम को देनदार, यदि कोई कंपनी है, के खिलाफ अधिकार केवल तभी तक उपलब्ध है जब तक कि समापन का कोई आदेश न हो। जब देनदार कंपनी का समापन होने वाला होता है, तो वित्तीय निगमों के अधिकार कंपनी अधिनियम की धारा 529 और 529-ए के प्रावधानों से प्रभावित होते हैं। यह भी माना गया कि कंपनी अधिनियम की धारा 529 का प्रावधान श्रमिकों के पक्ष में उनकी देय राशि की सीमा तक "बराबर" शुल्क बनाता है और परिसमापक को इस तरह के शुल्क को लागू करने के लिए श्रमिकों का प्रतिनिधि बनाता है। महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम बनाम बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड [एआईआर 1993 बीओएम 392] मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मंजूरी दे दी थी। एक बड़ी पीठ का संदर्भ इस तथ्य के कारण आया था कि इलाहाबाद बैंक बनाम केनरा बैंक और अन्य (सुप्रा) के निर्णय में इस निर्णय को शामिल नहीं किया गया था। यह निर्णय मानता है कि, चाहे कोई लेनदार समापन के बाहर खड़ा हो या नहीं, आय का वितरण कंपनी अधिनियम की धारा 529 के साथ उस अधिनियम की धारा 529 ए के साथ पढ़ा जाना चाहिए। ऐसा मामला जहां देनदार एक ऐसी कंपनी है, जिसका परिसमापन हो रहा है। जहां तक हम देख सकते हैं, उन मामलों में कंपनी अधिनियम की धारा 529 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 529ए की प्रयोज्यता के सवाल पर कोई विरोधाभास नहीं है, जहां देनदार एक कंपनी है और परिसमापन में है यदि कोई विरोध है, तो वह इस विचार में है कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण ऋण वसूली अधिनियम के तहत कंपनी की संपत्तियों को बेच सकता है। यह दृष्टिकोण इलाहाबाद बैंक बनाम केनरा बैंक और अन्य (सुप्रा) मामले में लिया गया था क्योंकि ऋण वसूली अधिनियम एक बाद का कानून है और एक विशेष कानून होने के कारण यह सामान्य कानून, कंपनी अधिनियम पर प्रबल होगा । जहां तक एसएफसी अधिनियम का संबंध है, यह तर्क उपलब्ध नहीं है, क्योंकि धारा 529ए 1985 के अधिनियम 35 द्वारा पेश की गई थी और उसमें प्रमुख प्रावधान 1956 में संशोधित एसएफसी अधिनियम 1951 पर लागू होगा और एसएफसी अधिनियम की धारा 46बी के बावजूद। जहां तक संपत्ति के बंटवारे का सवाल है तो कोई विवाद नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि चाहे परिसंपत्तियों की वसूली एक सुरक्षित लेनदार द्वारा की गई हो, भले ही यह एसएफसी अधिनियम के तहत कार्यवाही करके या ऋण वसूली अधिनियम के तहत कार्यवाही करके हो, परिसंपत्तियों का वितरण केवल इस संदर्भ में ही हो सकता है जो अधिनियम की धारा 529ए और श्रमिकों के बकाया की गणना करने और सुरक्षित लेनदारों के साथ समान रूप से उनके बीच वितरण के लिए इसे एकत्र करने के परिसमापक के अधिकार को मान्यता देकर है। इसलिए, कंपनी अदालत के नियंत्रण में काम करने वाले एक रैंक वाले सुरक्षित लेनदार का प्रतिनिधित्व करने वाले आधिकारिक परिसमापक को प्रक्रिया से बाहर नहीं रखा जा सकता है।

17. इस प्रकार, प्राधिकार के समक्ष जो बात सामने आती है वह यह है कि एक बार समापन की कार्यवाही शुरू हो गई है और परिसमापक को कंपनी की परिसंपत्तियों के समापन का प्रभारी बना दिया गया है, तो मौके पर रखी गई परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय का वितरण किया जाएगा। ऋण वसूली अधिनियम के अंतर्गत आने वाले वित्तीय संस्थान या एसएफसी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले वित्तीय निगम, केवल आधिकारिक परिसमापक के सहयोग से और कंपनी न्यायालय की देखरेख में हो सकते हैं। किसी वित्तीय संस्थान या रिकवरी ट्रिब्यूनल या किसी वित्तीय निगम या न्यायालय का अधिकार, जिसे एसएफसी अधिनियम की धारा 31 के तहत संपत्ति बेचने के लिए संपर्क किया गया है, छीना नहीं जा सकता है, लेकिन यह आवश्यकता के अनुसार प्रतिबंधित है। आधिकारिक परिसमापक इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिससे कंपनी अदालत को यह सुनिश्चित करने का अधिकार मिलता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 529 ए के अनुसार संपत्ति का वितरण हो सके। मौजूदा मामले में, माना जाता है कि अपीलकर्ताओं ने एसएफसी अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की है। हमारे पास केवल एक परिसमापन कार्यवाही लंबित है और सुरक्षित लेनदार, वित्तीय निगम परिसमापन के बाहर खड़े होने और परिसमापन में कंपनी की संपत्तियों को बेचने की अनुमति के लिए कंपनी अदालत से संपर्क कर रहे हैं। कंपनी अदालत ने सही निर्देश दिया है कि बिक्री कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले आधिकारिक परिसमापक के सहयोग से की जाएगी और आय को आधिकारिक परिसमापक के पास तब तक रखा जाएगा जब तक कि उन्हें कंपनी अधिनियम की धारा 529 ए के तहत उसकी देखरेख में वितरित नहीं किया जाता है। इस प्रकार दिए गए निर्देश स्पष्ट रूप से प्रासंगिक अधिनियमों के प्रावधानों और इस न्यायालय द्वारा ऊपर उल्लिखित निर्णयों में व्यक्त विचारों के अनुरूप हैं। ऐसे में हमें हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। हम स्पष्ट करते हैं कि इलाहाबाद बैंक बनाम केनरा बैंक और अन्य (सुप्रा) और इंटरनेशनल कोच बिल्डर्स लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम (सुप्रा) के निर्णयों के बीच कोई असंगतता नहीं है। लेनदारों के बीच वितरण के मामले में कंपनी अधिनियम की धारा 529 और 529ए की प्रयोज्यता के संबंध में एसएफसी अधिनियम के तहत या ऋण वसूली अधिनियम के तहत उन अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले और समापन के बाहर खड़े लेनदार द्वारा बेचने का अधिकार, सुरक्षा की बिक्री की आय के वितरण और ऐसे मामले में वितरण से अलग है जहां देनदार एक ऐसी कंपनी है जो बंद होने की प्रक्रिया में है, केवल धारा 529-ए के साथ पठित धारा 529 के संदर्भ में ही हो सकती है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आख़िरकार, परिसमापक लेनदारों के पूरे निकाय का प्रतिनिधित्व करता है और श्रमिकों की ओर से सुरक्षित लेनदारों के साथ समान वितरण का अधिकार रखता है और धारा 530 में निहित प्राथमिकताओं के आधार पर आय के आगे वितरण के लिए कर्तव्य रखता है जो कंपनी न्यायालय के निर्देशों के तहत कंपनी अधिनियम के अनुसार होती है। दूसरे शब्दों में, कंपनी अदालत के निर्देश के तहत बिक्री आय का वितरण उसकी जिम्मेदारी है। वितरण की योजना के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, आधिकारिक परिसमापक को

बिक्री की प्रक्रिया से जोड़ना आवश्यक है ताकि वह कंपनी अदालत के निर्देशों के आलोक में यह सुनिश्चित कर सके कि इसके लिए उचित मूल्य प्राप्त हो। परिसमापन में कंपनी की संपत्ति इसी संदर्भ में इंटरनेशनल कोच बिल्डर्स लिमिटेड (सुप्रा) में आधिकारिक परिसमापक के अधिकारों पर चर्चा की गई थी। एसएफसी अधिनियम की धारा 31 के तहत एक आवेदन पर विचार करने वाले ऋण वसूली न्यायाधिकरण और जिला अदालत को परिसमापक को नोटिस जारी करना चाहिए और बिक्री का आदेश देने से पहले, सामान्य रूप से लेनदारों के प्रतिनिधि के रूप में उसे सुनना चाहिए।

18. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम कानूनी स्थिति को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत करना उचित समझते हैं:-

i) बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के तहत कार्य करने वाला एक ऋण वसूली न्यायाधिकरण अपने वसूली अधिकारी के माध्यम से देनदार की संपत्तियों की बिक्री का आदेश देने और बेचने का हकदार होगा, भले ही कोई कंपनी परिसमापन में हो। लेकिन केवल आधिकारिक परिसमापक या कंपनी न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक को नोटिस देने और उसे सुनने के बाद ही।

ii) एसएफसी अधिनियम की धारा 31 के तहत एक आवेदन पर विचार करने वाले जिला न्यायालय के पास परिसमापन में उधार लेने वाली कंपनी की संपत्ति की बिक्री का आदेश देने की शक्ति होगी, लेकिन केवल आधिकारिक परिसमापक या कंपनी न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक को नोटिस के बाद। और उसे सुनने के बाद.

iii) यदि एसएफसी अधिनियम की धारा 29 के तहत कार्य करने वाला कोई वित्तीय निगम परिसमापन में देनदार कंपनी की संपत्तियों को बेचने या अन्यथा स्थानांतरित करना चाहता है, तो उक्त शक्ति का प्रयोग कंपनी अदालत से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है और कंपनी अधिनियम की धारा 529ए और धारा 529 के अनुसार बिक्री के साथ आधिकारिक परिसमापक को जोड़ने, अपसेट मूल्य या आरक्षित मूल्य तय करने, बिक्री की पुष्टि करने, बिक्री आय को रखने और लेनदारों के बीच उसके वितरण के संबंध में उस अदालत द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करना।

iv) ऐसे मामले में जहां बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 या एसएफसी अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू नहीं की गई है, संबंधित ऋणदाता को अपनी प्रतिभूतियों की वसूली के संबंध में उचित निर्देशों के लिए कंपनी अदालत से संपर्क करना होगा। परिसमापन में कंपनी की परिसंपत्तियों के वितरण के संबंध में कंपनी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ ।

19. अब मौजूदा मामले पर वापस लौटते हुए, हम पाते हैं कि कंपनी अदालत द्वारा जारी किए गए निर्देश सभी लेनदारों के हित में हैं और उसके अधिकार क्षेत्र में हैं। लेकिन हमें इस दलील में दम नजर आता है कि कंपनी अदालत द्वारा संपत्तियों के नए सिरे से मूल्यांकन का आदेश न देना उचित नहीं था। समय की चूक को ध्यान में रखते हुए, हम संतुष्ट हैं कि नए सिरे से मूल्यांकन आवश्यक है। हम कंपनी अदालत को उच्च न्यायालय के मूल्यांकनकर्ताओं के पैनल से एक मूल्यांकनकर्ता द्वारा नए सिरे से मूल्यांकन कराने का निर्देश देते हैं। कंपनी न्यायालय द्वारा जारी अन्य निर्देशों की पुष्टि की जाती है।

21. इस प्रकार कंपनी अदालत द्वारा जारी निर्देशों की पुष्टि करते हुए अपील का निपटारा किया जाता है, लेकिन संपत्तियों का नया मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए एक संशोधित निर्देश के साथ जैसा कि पूर्व के पैराग्राफ में दर्शाया गया है।

22. हम लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देते हैं।

अपील निस्तारित की जाती है।

राजकमल मिश्र